Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 169-2025/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2025
(8 आश्विन, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 75/पं०अ०18/1961/धा०15/2025, दिनांक 30 सितम्बर, 2025– पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा द्वितीय संशोधन नियम, 2025.	3111—3112
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 सितम्बर, 2025

संख्या का०आ० 75/पं०अ०18/1961/धा०15/2025.– हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 18) की धारा 15 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा द्वितीय संशोधन नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में, नियम 6क का लोप कर दिया जाएगा।

डा० साकेत कुमार,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 30th September, 2025

No. S.O. 75/P.A.18/1961/S.15/2025.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 15 of the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (Punjab Act 18 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Second Amendment Rules, 2025.

2. In the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, rules 6A shall be omitted.

DR. SAKET KUMAR,
Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.

12159—L.R.—H.G.P., Pkl.